International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

राजस्थान सुजस पत्रिका का महिला सशक्तिकरण केंद्रित योजनाओं में योगदानः (वर्ष 2011 से 2020 के विशेष संदर्भ में)

आकांक्षा पालावत

शोधार्थी:, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर : राजस्थान

शोध सार

यह शोध राजस्थान सुजस पत्रिका के महिला सशक्तिकरण केंद्रित योजनाओं में योगदान पर केंद्रित है, विशेष रूप से 2011 से 2020 तक के संदर्भ में। शोध का उद्देश्य यह जानना है कि किस प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करने में इस पत्रिका ने अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा, यह भी अध्ययन किया गया है कि इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आए हैं और उन्होंने किस प्रकार इन योजनाओं से लाभ उठाया है। राजस्थान सुजस पत्रिका ने महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर जन जागरूकता बढ़ाने और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस शोध में महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं और योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई है, और यह विश्लेषण किया गया है कि इन योजनाओं का प्रभाव राज्य के समाज में कैसे सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक रहा।

मुख्य शब्द महिला सशक्तिकरण, राजस्थान सरकार, योजनाएं, राजस्थान सुजस पत्रिका, जन जागरूकता, सामाजिक परिवर्तन, विधवा पुनर्विवाह योजना, नारी निकेतन, भामाशाह योजना, मुख्यमंत्री सात सूत्रीय कार्यक्रम, स्वयंसिद्धा योजना।

प्रस्तावना

महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य न केवल महिलाओं को अपने अधिकारों और निर्णय लेने में स्वतंत्रता देना है, बल्कि उन्हें समाज में समान अवसर, सुरक्षा और सम्मान दिलाना भी है। राजस्थान की सरकार ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया है, जिनके द्वारा महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए विभिन्न साधन प्रदान किए गए हैं। इस दिशा में राजस्थान सुजस पत्रिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से 2011 से 2020 तक, जहां उसने इन योजनाओं के प्रचार–प्रसार और सफल कार्यान्वयन में अहम योगदान दिया।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को उनके मूल अधिकारों तक पहुंच प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाना है। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार और सुरक्षा के क्षेत्रों में समान अधिकार देना, समाज में उनके स्थान को सुरक्षित करना और आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास में उनके योगदान को प्रोत्साहित करना सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण पहलू हैं।

महिला सशक्तिकरण केंद्रित योजनाओं की सफलता में राजस्थान सुजस पत्रिका का योगदान

राजस्थान सुजस पत्रिका ने महिला सशक्तिकरण से संबंधित सरकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पत्रिका ने राज्य की महिलाओं तक योजनाओं की जानकारी पहुँचाने के साथ–साथ उन्हें इन योजनाओं का सही तरीके से लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। विशेष रूप से 2011 से 2020 तक, राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं की सफलता में इस पत्रिका ने मदद की। उदाहरण के तौर पर, ''भामाशाह योजना'' और ''महिला आरक्षण योजना'' जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को इस पत्रिका के माध्यम से जनता तक पहुँचाया गया, जिससे इन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन हो सका। पत्रिका ने महिलाओं के आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए निरंतर जागरूकता अभियान चलाए, और समाज में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में काम किया।

राजस्थान सुजस पत्रिका के जन जागरूकता अभियानों का प्रभाव

राजस्थान सुजस पत्रिका का महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में सबसे बड़ा योगदान उसकी जन जागरूकता अभियान में था। पत्रिका ने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया और उन्हें यह समझाया कि विभिन्न सरकारी योजनाएं उनके जीवन को कैसे बेहतर बना सकती हैं। विशेष रूप से, ''सबला योजना'' और ''किशोरी शक्ति योजना'' जैसी योजनाओं के प्रचार–प्रसार ने किशोरियों और महिलाओं

को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के बारे में जागरूक किया। इन योजनाओं के बारे में जानकारी मिलने से महिलाओं ने अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार किया और अपनी ताकत को पहचाना। पत्रिका ने इन योजनाओं के बारे में लगातार जानकारी दी और महिलाओं को इनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।

महिला सशक्तिकरण के लिए मीडिया का प्रभाव

मीडिया का प्रभाव महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राजस्थान सुजस पत्रिका ने अपने प्रकाशन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को एक प्रबल मुद्दा बनाया। पत्रिका के लेखों और रिपोर्टों ने राज्य की महिलाओं को उनकी शक्ति और अधिकारों के बारे में जागरूक किया। इसके अलावा, पत्रिका ने महिलाओं के लिए समाज में सम्मान, सुरक्षा और अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इससे महिलाओं को खुद को सशक्त बनाने का साहस मिला और वे इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने में सक्षम हुईं।

राजस्थान सुजस पत्रिका की महिला सशक्तिकरण की दिशा में और भी संभावनाएँ

भविष्य में, राजस्थान सुजस पत्रिका को महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को और अधिक प्रभावी ढंग से उठाने की आवश्यकता है। पत्रिका को महिलाओं के मुद्दों को और भी विस्तार से कवर करने की आवश्यकता है, ताकि समाज के विभिन्न वर्गों में महिलाओं के अधिकारों और योजनाओं के प्रति जागरूकता फैले। विशेष रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के प्रचार की दिशा में काम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, पत्रिका को महिलाओं के अनुभवों, उनकी सफलता की कहानियों और समस्याओं को प्रमुखता से प्रकाशित करना चाहिए, ताकि समाज में महिलाओं के लिए सकारात्मक परिवर्तन हो सके।

राजस्थान सरकार की योजनाएं: महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष कदम

राजस्थान सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया है, जिनका उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों और जीवन के विभिन्न पहलुओं में सशक्त बनाना था। इन योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नलिखित हैं:

नारी निकेतन योजना

नारी निकेतन का उद्देश्य अनैतिक और उत्पीड़ित महिलाओं को संरक्षण देना और उनके जीवन को पुनः स्थिर बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा और शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह योजना महिलाओं के मानसिक और शारीरिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने का कार्य करती है।

विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना

राज्य सरकार ने विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए विधवा पेंशन की पात्रता रखने वाली महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए उपहार स्वरूप 15,000 रुपये देने की घोषणा की। इस योजना के द्वारा विधवा महिलाओं को नए जीवन की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

सहयोग योजना

यह योजना बी.पी.एल. परिवारों की पुत्रियों के विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई थी। योजना के तहत 18 से 20 वर्ष की आयु की अनुसूचित जाति की बेटी के विवाह पर 5000 रुपये की सहायता और 21 वर्ष से अधिक आयु की अन्य वर्गों की बेटियों के विवाह पर 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।

महिला स्वयंसिद्धा योजना

महिला स्वयंसिद्धा योजना के तहत विधवा, परित्यक्ता और निराश्रित महिलाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण, चिकित्सा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए अन्य प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इन महिलाओं द्वारा उत्पादित सामान की मार्केटिंग की समुचित व्यवस्था भी की जाती है, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

विधवा महिलाओं के लिए पेंशन योजना 2009 में शुरू की गई थी, जिसके तहत बी.पी.एल. परिवार की विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त करती हैं। इस पेंशन के माध्यम से विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

महिला आरक्षण योजना

राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे महिलाओं को राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के लिए राज्य की सेवाओं में भी 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री सात सूत्रीय महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम

श्रेणीबद्ध एवं वृहतर अभिगमन की दृष्टि से जीवन चक्र आधारित सात सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा बजट भाषण वर्ष 2009–10 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी। ये सात सूत्र हैं:

1. सुरक्षित मातृत्व ।
2. शिशु मृत्यु दर में कमी लाना।
3. जनसंख्या स्थिरीकरण ।
4. बाल विवाही की रोकथाम।
5. लड़कियों का कम से कम कक्षा 10 तक ठहराव ।
6. महिलाओं को सुरक्षा और सुरक्षित वातवरण प्रदान करना।
7. स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हुए आर्थिक सशक्तीकरण करना।

सबला योजना

भारत सरकार द्वारा 19 नवम्बर, 2010 को 'राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना सबला देश के 200 जिलों में लागू की गई। राजस्थान में यह योजना 10 जिलों यथा बीकानेर, बाडमेर, बांसवाड़ा, औलवाड़ा, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर, जोधपुर, झालावाड एवं उदयपुर के 114 ब्लॉक्स में क्रियान्वित हैं। योजना की राज्य में 24 जनवरी, 2011 को दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकाराने आरतिया। योजना 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की स्कूल जाने वाली या स्कूल बीच में छोड़ देने वाली समस्त बालिकाओं एवं 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की स्कूल जाने वाली समस्त बालिकाओं (पोषण प्रावधान हेतु) के लिए लागू से की गई है

किशोरी शक्ति योजना

भारत सरकार द्वारा संपोषित योजनान्तर्गत स्कूल न जाने वाली व स्कूल बीच में छोड़ देने वाली 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता है। किशोरी शक्ति योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बालिका मण्डल का गठन किया जाता है एवं इन मण्डलों की बैठकों के दौरान बालिकाओं को स्वच्छता, गृह प्रबंध, पोषण, बाल अधिकार, महिलाओं के अधिकार एवं विभिन्न विभागों की योजनाएं व कार्यक्रमों के प्रति समझ विकसित की जाती है तथा भ्रूण हत्या, दहेज, बाल विवाह, लिंगभेद आदि के विरुद्ध निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाती है। इसके अतिरिक्त जो बालिकाएं स्कूल नहीं जाती हैं, उन बालिकाओं को शिक्षा के विभिन्न विकों से जोड़कर सशक्तीकरण की मुख्यधारा में लाया जाता है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर इन बालिकाओं का एम सी एच एन दिवस पर स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाता है। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, आयरन फोलिक एसिड गोलियों का वितरण भी सुनिश्चित किया जाता है। इन बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

संवेदनशील जैण्डर बजटिंग

इस अवधारणा को सुर आधार देने के ध्येय में वर्ष 2009–10 में विशेष प्रयास किए गए जिसमे विभिन्न विभागों के बजट को और आधारित बनाया जा सके। मध्यमंत्री दवारा बजट घोषणा वर्ष 2009–10 में महिलाओं से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करने के लिए जेण्डर रेस्पोन्स बजट बनाने का निर्णय लिया गया जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विभाग के बजट जिला काण्डर आधारित विश्लेषण सम्भव हो सकेगा।

स्वयं सहायता समूह ऋण ब्याज पर 50 प्रतिशत अनुदान योजना

जिसके अन्तर्गत योजना में निहित प्रावधानों के अनुसार योग्य पाए जाने वाले 30 हजार महिला स्वयं सहायता सममुद्रों को वर्ष 2010–11 के दौरान उनके दवारा प्राप्त किए आने वाले ऋण पर राज्य सरकार दवारा 50 प्रतिशत व्याज अनुदान दिया जाएगा। ऋण लेने वाले समुहाँस को ही उक्त योजना का लाभ देय होगा एवं समूहों को अपने कुल जीवनकाल में यह लाभ एक बार ही प्राप्त होगा।

स्वावलम्बन योजना

योजना का उद्देश्य निर्धन, विधवा, परित्यक्ताओं, ग्रामीण एवं गरीब महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना है। महिलाओं को पारम्परिक तथा गैर पारम्परिक व्यवसायों में सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, गैर सरकारी संगठनों व जि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रशिक्षण

प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना अन्तर्गत समस्त जिली से विभागीय मानदण्डों के अनुसार अनुभवी महिला संलग्न स्वयंसेवी संगठनों से प्रस्ताव आमत्रित किए जाकर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा राज्य स्तर पर अग्रेषित किए जाते हैं।

महिलाओं को बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना

राज्य सरकार की बजट घोषणा 2011–12 के अर्न्तगत सभी वर्ग की महिलाओं को बेसिक कम्प्यूटर कोर्स का निःशुल्क प्रशिक्षण आर. के. सी. एल. के माध्यम से दिया जाएगा। इस हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनकी ऑनलाइन अपलोडिंग का कार्य चल रहा है।

प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना

प्रत्येक जिले में 10 श्रेष्ठ स्वयं सहायता समूहों का चयन कर उन्हें स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से आयजनक गतिविधियों में प्रशिक्षण दिलवाकर स्वरोजगार की ओर अग्रसर करने के उद्देश्य से वर्ष 2009–10 से योजना संचालित की जा रही है।

कलेवा योजना

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा एवं स्वयं सहायता समूहाँ की महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसव कराने वाली प्रसूताओं को प्रथम दो दिवस तक गरम पौष्टिक भोजन की आपूर्ति राज्य के समस्त 368 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर की जा रही है।

इन्दिरा गांधी मातृत्व सशर्त सहयोग योजना

भारत सरकार द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर में सुधार के उद्देश्य से नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान करके अनुकुल वातावरण निमाण हेतु देश के 50 जिलों में जिनमें राज्य के दो जिले ओलवाड़ा एवं उदयपुर सम्मिलित है, उक्त योजना प्रारम्भ की गई है। उक्त योजना के तहत सभी वर्गों की 19 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं को प्रथम दो प्रसव तक निर्धारित शर्तें प्री करने पर (जो उसके स्वयं एवं शिशु के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए आवश्यक हैं) दो प्रसव तक प्रत्येक प्रसव पर गर्भावस्था के छठे महिने, प्रसव के तीन माह बाद तथा प्रसव के छह माह बाद तीन किस्तों में 4000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

बालिका सम्बल योजना

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 के बजट में गिरते लिंगानुपात को रोकने के उद्देश्य से बालिका सम्बल योजना की घोषणा की गई। यह योजना 1 अप्रैल, 2007 से लागू की गई। इसके तहत एक या दो बच्चियों पर नसबंदी ऑपरेशन करवाने पर 5 वर्ष की बालिकाओं को उनके सुरक्षित भविष्य हेतु आर्थिक सम्बल प्रदान किया जाता है।

पुलिस विभाग में महिलाएं

पुलिस विभाग में नवीन नियुक्तियों में महिलाओं की संख्याभागीदारी बढ़ाए जाने हेतु 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित। हाड़ी रानी महिला सशस्त्र बटालियन का सृजन कर 375 महिला कास्टेबलों की भर्ती कर प्रशिक्षण देत जोधपर भिजवाया गया। राज्य में 35 महिला थाने खोले गए हैं। पीड़ित महिला अभियोग हर्ज नहीं कराकर आपसी समझौता चाहती है, तो महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्रों एवं पारिवारिक परामर्श केन्द्रों द्वारा महिला के ससुराल पक्ष को बुलाकर (काउन्सिलिंग) सुलह करवाई जाती है

महिलाओं को स्टाम्प शुल्क में रियायत

महिला सशक्तीकरण की दिशा में समुचित कार्रवाई कर अधिसूचना 8 जुलाई, 2009 द्वारा मुद्रांक शुल्क 5 प्रतिशत लेने की पूर्व रियायत को और घटाकर 4 प्रतिशत किया गया जिसके फलस्वरूप कृषि भूमि सहित सभी अचल सम्पति के हस्तान्तरण विलेखों पर स्टाम्प शुल्क में रियायत दी जा रही है।

विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री सम्बल योजना'

शैक्षिक सत्र 2011–12 से 'विधवा परित्यक्ता मध्यमत्री सम्बल योजना लागू की गई। इसके तहत राज्य मे स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में बी एस टी मी. अथवा बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने वाली विधवा–परित्यक्ता महिलाओं की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार दवारा किया जाकर उन्हें सम्बल दिया जा रहा है।

राज्य महिला आयोग

राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए राज्य सरकार दवारा 23 अप्रैल 1999 को एक विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के पारित होने पर 15 मई, 1999 को राज्य सरकार दवारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। अधिनियम की धारा 11 में आयोग के कार्यों का विस्तृत उल्लेख किया गया है।

भामाशाह योजना

मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने मेवाड़ अंचल के उदयपुर शहर से देश में महिला वित्तीय सशक्तीकरण की सबसे बड़ी भामाशाह योजना का शुभारंभ किया जो महिला आत्मनिर्भरता के एक नये युग का सूत्रपात करेंगी। श्रीमती राजे का यह ड्रीम प्रोजेक्ट देश की आजादी के पावन दिवस पर प्रदेश की करीब डेढ़ करोड़ महिलाओं के लिए 'आजादी का तोहफा है, जो उन्हें आर्थिक रूप से परिवार पर निर्भर रहने की मजबूरी से मुक्त करेगा। इसके माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ इन्हीं के बैंक खातों में जमा हो। यह योजना प्रदेश की नारी शक्ति को एकता के सूत्र में बांधकर आर्थिक अधिकार देने का प्रयास भी है, योजना के अन्तर्गत परिवार के सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाकर समय डेटाबेस को आधार से जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधा एवं शीघ्र लाभार्थी तक पहुंचाने में भामाशाह योजना, 2014 मील का पत्थर साबित होगी। भामाशाह योजना के अन्तर्गत राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। नामांकन शिविरों के अन्तर्गत 4.5 करोड़ व्यक्ति आधार के लिए तथा 40.85 लाख परिवार (122.84 लाख व्यक्ति) भामाशाह के अन्तर्गत नामांकित किए जा चुके हैं। इन शिविरों में 22.77 लाख परिवारों द्वारा बैंक खाते खुलवाए गए हैं तथा लाभार्थियों के आधार नम्बर, भामाशाह आई.डी. एवं बैंक खाते इण्टर–लिंक किए जा रहे हैं।

बेटी बचाओ अभियान

'बेटी बचाओ अभियान' का संचालन कर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात सुधारने के प्रयास किये जा रहे हैं। बालिका जन्म पर मुख्यमंत्री का बधाई संदेश अभिभावकों को दिया जा रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में शिशु लिंगानुपात मात्र 888 था। राज्य सरकार द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट की पालना सुनिश्चित करने एवं बेटी–बचाओ अभियान का सघनता से संचालन करने के परिणामस्वरूप प्रिग्नेंसी एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के तहत राजकीय चिकित्सा संस्थानों में दर्ज कुल जीवित जन्मों में लिंगानुपात अब बढ़कर 939 हो गया है।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना

इस योजना के माध्यम से बालिका के जन्म से लेकर शिक्षित होने तक होने वाले खर्च से परिवार को राहत देने का अभिनव प्रयोग किया है। योजना के तहत 1 जून, 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिका के अभिभावकों का 2500 रुपये दिए जा रहे है। बालिका की प्रथम वर्षगाठ पर इतनी ही राशि दी जाती है। इसक बाद सरकारी स्कूल में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के अभिभावकों को योजन चार हजार तथा छठी कक्षा में आने पर 5 हजार रुपये दिए जाते हैं। सरकारी स्कूल में कक्षा दस में प्रवेश करने पर ग्यारह हजार रुपये तथा बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 25 हजार रुपये बालिका के अभिभावकों को दिए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

भारत में वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा घरों में गौली (सूखी लकड़ी व कंडे रूपी ईंधन जलाने से होता है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं खाना पकाने हेतु मजबूरीवश जंगलों से लकड़ी काटकर लाती हैं, जिससे समय बर्बादी के साथ ही प्राकृतिक सम्पदा को नुकसान व घर सहित पूरे मोहल्ले में धुएं से निरन्तर प्रदूषण उत्पन्न होता है। इसका हानिकारक प्रभाव महिलाओं सहित परिवार के अन्य सदस्यों पर श्री होता है। उनमें खांगी, अस्थमा, श्वास संबंधित (बोन्काइटिस) रोग सर्वाधिक पाये गये हैं। चूल्हे पर खाना बनाने में महिलाओं को समय भी अधिक लगता है और कई बार तो उनका हाथ भी जल जाता है। साथ ही चूल्हे पर लकड़ी जलाकर खाना बनाने वाली महिलाओं की आंखों की रोशनी तक भी चली जाती है। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने, महिला का सम्मान करने, स्वच्छ ईधन, स्वास्थ्य सुरक्षा और बेहतर जीवन–यापन करने के उद्देश्य को लेकर गत 1 मई, 2016 को केन्द्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरु की गई।

इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण' योजना

इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण' योजना की शुरुआत महिला सशक्तीकरण की दिशा में राजस्थान सरकार द्वारा उठाया गया एक अहम कदम है। स्वस्थ एवं पोषित बच्चे देश का भविष्य हैं। गर्भवती महिला को उचित पोषण मिलेगा तो बच्चा भी स्वस्य पैदा होगा। राज्य सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना माताओं एवं बच्चों में कुपोषण कम करने के साथ–साथ बच्चों के समुचित विकास में मां के पोषण के महत्व के संबंध में जागरुकता भी बढ़ाएगी। योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं तथा तीन वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। इस योजना में दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी महिलाओ को पांच चरणों में 6 हजार

रुपए की राशि मौधे लाभार्थी के खाते में भेजी आएगी। योजना के तहत 1 नवम्बर, 2020 एवं इसके बाद जन्मे दूसरे बच्चे के समय गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना

18 वर्ष या अधिक आयु की विधवाध्परित्यक्ताध्तलाकशुदा महिला, जो राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो, अथवा प्रार्थी की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये 48000 से कम हो, को पेशन देय है। बी.पी.एल.ध अन्त्योदयध्आस्था कार्डधारी परिवारध्सहरिया कौड़ी। बैरवा जाति एवं एचआईवी एड्स पॉजिटिव जो एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत है, ऐसी विधवाध्परित्यक्ताध्तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है। पेंशन दर 18 वर्ष व अधिक किन्तु 55 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को 500ध– प्रतिमाह 55 वर्ष व अधिक किन्तु 60 वर्ष तक आयु की पेंशनर को रु. 750ध– प्रतिमाह, 60 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रु. 1000 ध– प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर रु. 1500ध– प्रतिमाह पेंशन देय है, सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

स्वाधार गृह योजना

विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करने हेतु स्वाधार योजना प्रारम्भकी गई है। योजनान्तर्गत आश्रय, भोजन, वस्त्र, परामर्श सेवायें, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य से सम्बन्धित एवं विधिक सहायता प्रदान करते हुए उन्हें पुनर्वासित किया जाता है, ताकि वे सम्मानपूर्वक एवं विश्वासपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें।

राजस्थान सुजस पत्रिका का योगदान

राजस्थान सुजस पत्रिका ने महिला सशक्तिकरण के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रचारित करने में अहम भूमिका निभाई है। इस पत्रिका के माध्यम से महिलाओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई, जिससे उन्होंने अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ उठाया। इसके अतिरिक्त, पत्रिका ने महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर जन जागरूकता अभियान भी चलाया, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए।

समाप्ति

राजस्थान सुजस पत्रिका ने 2011 से 2020 तक महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस पत्रिका ने सरकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कई प्रयास किए। आने वाले समय में, यदि यह पत्रिका अपनी जन जागरूकता अभियानों को और अधिक विस्तारित करती है और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताती है, तो यह राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए और भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। राजस्थान सरकार की योजनाओं को इस प्रकार प्रभावी तरीके से लागू करना राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायक होगा, जिससे महिलाओं को उनके जीवन में समान अवसर और सम्मान मिलेगा।

सन्दर्भ सूची

1ण राजस्थान सुजस,अंक जून 2011, पृ. सं. 19
2ण राजस्थान सुजस, अंक जून 2011 पृ. सं. 19
3ण राजस्थान सुजस, अंक जून 2011, पृ. सं. 20
4ण राजस्थान सुजस, अंक जून 2011, पृ. ग.20
5ण राजस्थान सुजस, अंक जून 2011, पृ. सं.21
6ण राजस्थान सुजस, अंक नवंबर 2011, पृ. म.24
7ण राजस्थान सुजस, अंक सितंबर 2011, पृ. सं.8
8ण राजस्थान सुजस, अंक सितंबर 2011, पृ. सं. 12
9ण राजस्थान सुजस, अंक सितंबर 2011, पृ. सं. 12
10ण राजस्थान सुजस, अंक सितंबर 2011. पृ. सं. 13
11ण राजस्थान सुजस, अंक सितंबर 2011, पृ. सं. 13
12ण राजस्थान सुजस, अंक सितंबर 2011, पृ. सं. 15
13ण राजस्थान सुजस, अंक सितंबर 2011, पृ. सं. 15
14ण राजस्थान सुजस, अंक सितंबर 2011, पृ. सं. 15
15ण राजस्थान सुजस, अंक सितंबर 2011, पृ. सं. 15

16ण राजस्थान सुजस, अंक सितंबर 2011, पृ. सं. 15
17ण राजस्थान सुजस, अंक सितंबर 2011, पृ. सं. 16
18ण राजस्थान सुजस, अंक सितंबर 2011, पृ. सं.39
19ण राजस्थान सुजस, अंक सितंबर 2011, पृ. सं.24
20ण राजस्थान सुजस, अंक सितंबर 2011, पृ. सं. 24
21ण राजस्थान सुजस, अंक मई 2013, पृ. सं. 11
22ण राजस्थान सुजस, अंक मई 2013, पृ. सं. 17
23ण राजस्थान मुजम अंक अगस्त 2014, 1.2
24ण राजस्थान सुजस, अंक जून 2017, पृ. 1.8
25ण राजस्थान सुजस, अंक नवंबर दिसंबर 2017, पृ. सं. 13
26ण राजस्थान सुजस, अंक सितंबर 2018, पृ. सं.44
27ण राजस्थान सुजस, अंक नवंबर दिसंबर 2020, पू. सं.60
28ण राजस्थान सुजस, अंक सितंबर 2019, पृ. सं. 16
29ण राजस्थान सुजस, अंक सितंबर 2019, पू. सं.22